

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी (डीग) राज0

पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 37/2022

सब्बीर पुत्र ईशव जाति मेव निवासी ग्राम कठौल तहसील पहाडी जिला भरतपुर राज0।

वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एकट

उपस्थित :- श्री सतीश बुन्देला वकील वादी

दिनांक :- 06/05/2024

निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एकट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 3600/0.18, 3601/0.14, 3602/0.15, 3603/0.23, हैक्टर बांके ग्राम कठौल तहसील पहाडी में स्थित है। प्रतिवादी संख्या 1 राज्य सरकार के प्रतिनिधी है एवं तहसील के समस्त विभाग राज्य सरकार की और से प्रतिवादी के निर्देशन में कार्य करते है और प्रतिवादी कृषि भूमि धारक है। जिनके खिलाफ दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान से 80(2) जा0दी0 में अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। विवादित आराजी पर वादी का विगत 40 वर्षों से अधिक समय से वहैसियत काश्तकार शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त है करीब 40 वर्षों से वादी आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है और आराजी गै0मु0 के रूप में दर्ज है जो पहले अनुपजाऊ व अनुपयोगी गै0मु0 खार की भूमि थी आराजी पूर्व में बंजड की भूमि थी जिसमें कोई काश्त नहीं होती थी लेकिन वादी भूमिहीन होने के कारण अपने परिवार के लालन पालन हेतु उक्त आराजी की डौल मेड बांधकर मेहनत इत्यादि कर बडी मुश्किल से उसके बंजडपन को खत्म करते हुये फसल योग्य तैयार किया। उक्त आराजी को वादी के नाम आवंटन करने की बात कही तो प्रतिवादी ने धमकी दिनांक 08/02/2022 को स्पष्ट शब्दों में आवंटन करने से साफ इंकार कर दिया और कहा कि अब तुझे आराजी मुतदाविया से बेदखल करके रहूंगा या फिर अन्य लोगो को आवंटन कराके रहूंगा। यदि प्रतिवादी अपनी धमकी भरे इरादे में कामयाब हो गया तो वादी को अपरमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति कदापि संभव ना हो सकेगी। विनाय मुखास्मत प्रथम दिनांक 08/02/2022 को ऐलानिया धमकी व दायम 05/02/2022 को नकल जमाबन्दी लेने पर पैदा हुयी। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी को पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी की कब्जे काश्त की आराजी से अवैध रूप से बेदखल ना करें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार पहाडी ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 23/11/2022 को जबाब इस आशय का पेश किया कि वादी द्वारा उक्त आराजी को आवंटन कराने हेतु कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया और ना

अधिकारी
(डीग)



ही कोई धमकी दी गई। जबकि वादी के विरुद्ध समय-समय पर काफी समय से 91 एल0आर0 एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती रही है। वादी का कब्जा लम्बे समय से अतिक्रमी के रूप में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

तनकी संख्या 1 :- आया विवादित आराजी पर वादी का अर्सा करीब 40 वर्षों से अधिक समय से कब्जा काशत है। वादी कब्जे काशत के आधार पर खातेदार काशतकार घोषित करा पाने का अधिकारी है।

.....वादी

तनकी संख्या 2 :- आया आराजी पूर्व में बंजड थी जिसे वादी ने अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाया जिस पर वादी द्वारा कृषि की जा रही है।

.....वादी

तनकी संख्या 3 :- आया वादी के विरुद्ध काफी समय से 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती रही है तथा उक्त भूमि पर आज भी कृषि की जा रही है।

.....प्रतिवादी

तनकी संख्या 4 :- आया आराजी मुतदाविया धारा 15 आर0टी0 एक्ट से बाधित नहीं है।

.....प्रतिवादी

5:- दादरसी :-

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 सब्बीर, पी0डब्लू0 2 शेरखान, पी0डब्लू0 3 बड्डन , पी0डब्लू0 4 सकूर, पी0डब्लू0 5 न्यामत, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य में नकल खसरा परिवर्तित सम्वत 2068, 2078 वर्ष 2021-22 व हाल जमाबन्दी सम्वत 2075 लगायत 2078 पेश किये।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस में वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

तनकी संख्या 1 :- आया विवादित आराजी पर वादी का अर्सा करीब 40 वर्षों से अधिक समय से कब्जा काशत है। वादी कब्जे काशत के आधार पर खातेदार काशतकार घोषित करा पाने का अधिकारी है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर है। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी एवं जबाब तहसीलदार से विवादित आराजी गै0मु0खार (सरकारी) भूमि है जिस पर मुताबिक कानून खातेदारी दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक प्रतिवादी विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :- आया आराजी पूर्व में बंजड थी जिसे वादी ने अपनी मेहनत से उपजाऊ बनाया जिस पर वादी द्वारा कृषि की जा रही है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर है। तहसीलदार पहाडी के जबाब मुताबिक आराजी गै0मु0 खार सरकारी भूमि है। अतः यह तनकी भी

उक्त वाहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

पी (डीग)

तनकी संख्या 3 :- आया वादी के विरुद्ध काफी समय से 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही की जाती रही है तथा उक्त भूमि पर आज भी कृषि की जा रही है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पर है। पत्रावली में संलग्न जबाब तहसीलदार पहाड़ी एवं नकल जमाबन्दी के मुताबिक आराजी गै0मु0सार सरकारी भूमि है। उक्त आराजी पर वादी का कब्जा अतिक्रमी के रूप में है। अतः यह तनकी भी वाहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4 :- आया आराजी मुतदाविया धारा 15 आर0टी0 एक्ट से बाधित नहीं है।

उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी पर है। तनकी संख्या 1,2,3 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित हो चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त तनकी भी वाहक प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

5. दादरसी :- तनकी संख्या 1,2,3,4 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :-

उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादी प्रमाणित ना होने के कारण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 06/05/2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनीता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (जीम)



डिगरी व मुकदमे इक्टदाई
(ओ0 20 रू0 6-7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी डीग (राज0)
पीठासीन अधिकारी सुनीता यादव आर0ए0एस

मुकदमा नं0 37/2022

सब्बीर पुत्र ईशव जाति मेव निवासी ग्राम कठौल तहसील पहाडी जिला भरतपुर राज0।

वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब, पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ सुनीता यादव आर0ए0एस0
व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया
जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादी प्रमाणित ना होने के
कारण खारिज किया जाता है।

आज X मुबलिंग X खर्चा इस मुकदमे के
मय सूद व शहर X को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी
..... X तक अदा करें।

बसब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06/05 सन् 2024 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत
ओहदा
उपखण्ड अधिकारी
पहाडी (डीग)
मुद्दालय

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	2.00		स्टाम्प अरजीदावा		
स्टाम्प वकालतनामा	1.00		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत	1.00		स्टाम्प वजह सबूत		
महनताना वकील)पर			महनताना वकील)पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय हुक्मनामा			बबत इजराय हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान	4.00		मीजान		

